बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 02 नवम्बर, 2023 ई० ।

संख्या-1स्था०-14/2015(खंड)- 2699 /वि०स० । स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का संकल्प संख्या-14/विविध-05/2021-2686 (14) स्वा०, दिनांक-09.10.2023 (संलग्न), जो राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन से संबंधित है, को सभा सचिवालय में लागू किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

उमा शंकर 02.11.2023

(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-14/2015(खंड)- 2699 /वि०स०, पटना, दिनांक- 02 नवम्बर, 2023 ई० ।

प्रतिः-महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार सरकार / स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उमा शंकर 02.11.2023

(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-14/2015(खंड)- 2700 /वि०स०, पटना, दिनांक- नवम्बर, 2023 ई० ।

प्रतिः- सभी निदेशक / उप सचिव / संयुक्त निदेशक / मुख्य प्रतिवेदक / अवर सचिव एवं समकक्ष पदाधिकारी / मार्शल / सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण / लेखा शाखा / सूचना एव विविध शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा (बिहार विधान सभा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) एवं स्थापना शाखा (10 प्रतियों में), बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उमा शंकर 02.11.2023

(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-14/2015(खंड)- 2700 /वि०स०, पटना, दिनांक- नवम्बर, 2023 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एवं सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ ।

उमा शंकर 02.11.2023

(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-14/2015(खंड)- 2700 /वि०स०, पटना, दिनांक- नवम्बर, 2023 ई० ।

प्रतिः- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 10 (दस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

उमा शंकर 02.11.2023

(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

02.11.23

2686(14)
09/10/2023

सं0–14 / विविध–05 / 2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1462(14), दिनांक–16.08.2021 द्वारा राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 10,00,000/– (दस लाख रुपया) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है तथा रूपये 10,00,000/– (दस लाख रुपया) से ऊपर की व्यय राशि की प्रतिपूर्त्ति वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान किया गया है परन्तु चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा में बढ़ोत्तरी के संबंध में प्रावधान नही किया जा सका है।

2. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका– 6(V) में निहित प्रावधान के तहत् राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा अग्रिम रू0 5,00,000/– (पाँच लाख रुपया) की सीमा तक की राशि की स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है तथा रूपये 5,00,000/– (पाँच लाख रुपया) से ऊपर की राशि की चिकित्सा अग्रिम के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान है।

3. कतिपय विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका– 6(V) में निहित प्रावधान में संशोधन की अपेक्षा की जाती रही है।

4. उक्त प्रावधान लगभग आठ वर्ष पूर्व का है, जिसमें वर्त्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है।

5. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के ईलाज हेतु विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका– 6(V) में चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति को निम्नरुपेण संशोधन किया जाता है :–

(i)	अधिकतम रू0 8 लाख (आठ लाख रुपया) तक	प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।
(ii)	रू0 8 लाख (आठ लाख रुपया) से ऊपर	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।

6. संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम राशि का सी0जी0एच0एस0 दर पर निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन

सुनिश्चित की जायेगी जिसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासी विभाग और नियंत्रण पदाधिकारी दोनों स्तर पर की जायेगी।

7. चिकित्सा अग्रिम हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—946(14), दिनांक—14.08.2015 की कंडिका—6(V) इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

8. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक —14 / विविध— 05 / 2021 2686 (14) स्वा०, पटना, दिनांक— 09/10/2023

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट, वित्त विभाग, बिहार / अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् / बिहार विधान सभा / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी, बिहार / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना / सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार / सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार / सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार / सभी सिविल सर्जन, बिहार / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।